



RIMS/Estb.(1-A) संचिका संख्या-389/स्था0(राजपत्रित)656/RIMS, Ranchi Dated.29/04/25

कार्यालय आदेश

दिनांक 03.01.2025 को अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में रिम्स, राँची में कार्यरत चिकित्सक (शैक्षणिक संवर्ग) को रिम्स विनियम 2014 में निहित प्रावधानों के तहत प्रोन्नति प्रदान करने हेतु प्रोन्नति समिति की बैठक में लिये गये निर्णय की कंडिका 2 (iv) में उल्लेखित है कि “ जिन चिकित्सकों को BCME तथा BCBR की उत्तीर्णता की शर्त के साथ प्रोन्नति प्रदान की गई है, उनके मामले में उक्त शर्तों को पूर्ण करने के पश्चात ही प्रोन्नति संबंधी आदेश निर्गत किया जायेगा ” के आलोक में निम्नलिखित चिकित्सक (शैक्षणिक संवर्ग) को निर्देश दिया जाता है कि अपने नाम के सम्मुख अभ्युक्ति कॉलम -5 में उल्लेखित कोर्स का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे।

निम्नलिखित चिकित्सक (शैक्षणिक संवर्ग) द्वारा संबंधित कोर्स का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरांत ही देय प्रोन्नति संबंधित आदेश निर्गत किया जायेगा।

Sl. No.	Name of the Officer	Department	Date of Promotion	Remarks
1	2	3	4	5
1	Dr. Rajesh Kumar Chaudhary	ENT	01-07-2024	BCBR not done
2	Dr. Zahid Mustafa Khan	ENT	01-07-2024	BCBR not done
3	Dr. Sandip Kumar	General Surgery	01-07-2024	BCME not done
4	Dr. Anjay Kumar	General Surgery	01-07-2024	BCBR not done
5	Dr. Farrukh Hassan	General Surgery	01-07-2024	BCBR & BCME not done
6	Dr. Rana Pratap Singh	Urology	01-07-2024	BCME not done

उक्त पर माननीय मंत्री, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखण्ड सरकार -सह- अध्यक्ष शासी परिषद् रिम्स का अनुमोदन प्राप्त है।

निदेशक, 29/4/25
राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची।

ज्ञापांक 656/रिम्स, राँची, दिनांक 29/04/25

प्रतिलिपि: रिम्स के सूचनापट्ट पर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि: सभी संबंधित चिकित्सकों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: अपर निदेशक (प्रशासन)/संकायाध्यक्ष/चिकित्सा अधीक्षक/संबंधित विभागाध्यक्ष/उप निदेशक (वित्त)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/ प्रशासनिक पदाधिकारी/ लेखा पदाधिकारी, रिम्स, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: कार्यालय अधीक्षक/लेखापाल/मुख्य रोकड़पाल/विपत्र लिपिक (राजपत्रित)/निदेशक कोषांग, रिम्स, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार-सह-अध्यक्ष, शासी परिषद, रिम्स, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसे माननीय मंत्री के संज्ञान में लाने की कृपा की जाय।

निदेशक,

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची।

R.
29/04/25
29.4.25
29/4/25